न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 159/2022

श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री गणेशाराम, जाति जाट, निवासी चीमा का बास, पोस्ट बेरला, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 30.05.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 11.05.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 159/2022 पर दिनांक 11.05.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/2001–2002 दिनांक 11.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा ने पत्रांक आर0टी0आई0/2022/25 दिनांक 25.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जयवीर सिंह निवासी चीमा का बास, पोस्ट बेरला, तहसील सूरजगढ का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2022 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ। प्रार्थी ने मूल निवास प्रमाण पत्र क्रमांक 478 दिनांक 02.02.2099 प्रार्थिया बबीता पत्नि हवासिंह, जाति जाट, निवासी चीमा का बास के संबंध मे सूचना चाही गई है। आवेदक को उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक विविध/2022/38 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा कार्यालय से सूचित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अपील के आधार तथ्यहीन होने होने से अपील अपीलार्थी खारीज योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा द्वारा प्रस्तुत पत्रांक आर0टी0आई0/2022/25 दिनांक 25.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जयवीर सिंह निवासी चीमा का बास, पोस्ट बेरला, तहसील सूरजगढ का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2022 को उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ। प्रार्थी ने मूल निवास प्रमाण पत्र क्रमांक 478 दिनांक 02.02.2099 प्रार्थिया बबीता पत्नि हवासिंह, जाति जाट, निवासी चीमा का बास के संबंध मे सूचना चाही गई है। आवेदक को उक्त सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक विविध/2022/38 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा कार्यालय से सूचित किया गया है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा द्वारा पत्रांक 38 दिनांक 14.03.2022 से सूचित किया है कि चाहा गया रिकार्ड कार्यालय की विभिन्न शाखाओं मे तलाशे जाने के बावजूद नही मिला है। यदि भविष्य मे रिकार्ड उपलब्ध होता है तो सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। इससे जाहिर है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना नही मिली है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा चाही गई सूचना के संबंध मे रिकार्ड को तलाश कर अपीलार्थी को 7 दिवस मे सूचना निःशुल्क उपलब्ध करावें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 30.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.13 12:04:09 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर झुंझुनूं